फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उपेन्द्र कुमार **विपक्षी : श्री उषा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 28/23**

जीसीएमएस : 2023/100

कमांक	कार्यवाही विवरण	
	दिनांक : 29.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 14, 16 से 21, 23 से 26, 28 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी सं. 15, 22, 27 के विरूद्व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 28 के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 से 8 के पिता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2013 से क्रय करना बताकर क्रयसुदा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। विक्रय पत्र का नामान्तकरण पारित नहीं होने एवं विक्रेता गोवर्धन का देहान्त हो जाने से भूमि विरासत के आधार पर विपक्षी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज होना जाहिर आया हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तथा विपक्षी सं. 1 से 8 वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः विपक्षी सं. 1 से 8 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया विपक्षी सं. 1 से 8 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 318 पर दर्ज आराजी नम्बर 1357, 1358 किता 2 रकबा 0.5180 हेक्टेयर एवं खाता सं. 319 पर दर्ज आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज हिस्से भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.09.02 13:58:25 IST Reason: SelfAttested	